भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 2217 #

गुरूवार, 06 अगस्त, 2026/15 श्रावण, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन बुनियादी ढांचा परियोजनाएं

2217 # श्री आदित्य प्रसादः

डा. संदीप कुमार पाठकः

श्रीमती माया नारोलियाः

श्री बृज लालः

श्रीमती सीमा द्विवेदी:

श्री सदानंद महालू शेट तानवड़ेः

श्री राजेश परमानंद शुक्ल:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूर्ण हो चुकी सतत पर्यटन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए किन प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) गंतव्य विकास के शुरुआती नियोजन चरणों में स्वदेशी और स्थानीय समुदाय के नेताओं को शामिल करने के लिए कौन-कौन से तंत्र विद्यमान हैं;

(ग) क्या सरकार ने विकसित गंतव्यों से होने वाले आर्थिक प्रभाव, पर्यटकों की संख्या और रोजगार सृजन का समय-समय पर आकलन करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र स्थापित किया है; और

(घ) झारखंड में इन मूल्यांकन तंत्रों और सतत पर्यटन बुनियादी ढांचा पहलों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटन का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन द्वारा किया जाता है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं जैसे 'स्वदेश दर्शन' (एसडी), 'स्वदेश दर्शन 2.0' (एसडी 2.0), 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास' (सीबीडीडी)- स्वदेश दर्शन के तहत एक पहल और 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं

आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान' (प्रशाद) आदि के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासनों को, उनसे परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति पर, योजना दिशानिर्देशों और सरकारी निर्देशों के अनुरूप तथा निधियों की उपलब्धता, परस्पर प्राथमिकता आदि के अध्यधीन पर्यटकों के अनुभवों को बेहतर बनाने हेतु देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

भारत सरकार ने देश में प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों का व्यापक रूप से विकास करने तथा वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग और विपणन करने के प्राथमिक उद्देश्य से 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) - वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों का विकास' नामक अपनी पहल के तहत भी वर्ष 2024-25 में देश में विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

इसके अलावा, उपर्युक्त योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है। स्वदेश दर्शन 2.0 के दिशा-निर्देशों में राष्ट्रीय संस्थागत कार्यढांचा शामिल है, जिसमें केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी), मिशन निदेशालय (एमडी) आदि शामिल हैं। राज्य संस्थागत कार्यढांचा एवं गंतव्य प्रबंधन समितियों की स्थापना राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा की जानी है। मंत्रालय ने अपनी गंतव्य विकास संबंधी योजनाओं की निगरानी के लिए अपनी विभिन्न योजनाओं के भाग के रूप में शुरू की गई परियोजनाओं के संबंध में निर्बाध सूचना, संचार, साझाकरण और रिपोर्टिंग प्रणाली की सुविधा प्रदान करने के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में एक कार्यक्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) भी तैयार की है। पर्यटन मंत्रालय एवं परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों सहित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन इस प्रणाली का अभिन्न हिस्सा हैं।

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों में गंतव्य पर वर्तमान में और भविष्य में अनुमानति पर्यटकों के आगमन की संख्या, परियोजना स्थल पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होने वाला रोजगार सृजन और परियोजना से संभावित राजस्व स्रोतों को शामिल करने हेतु अधिदेशित करता है, ताकि परियोजनाओं के पूरा होने पर उनके प्रचालन एवं रखरखाव की लागतों को पूरा किया जा सके।

झारखंड राज्य में एसडी, सीबीडीडी, एसएएससीआई और प्रशाद योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

अनुबंध

श्री आदित्य प्रसाद, डा. संदीप कुमार पाठक, श्रीमती माया नारोलिया, श्री बृज लाल, श्रीमती सीमा द्विवेदी, श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े और श्री राजेश परमानंद शुक्ल द्वारा पर्यटन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 06.08.2026 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के लिखित प्रश्न संख्या 2217 # के भाग (क) से (घ) के उत्तर में **विवरण**

(i) झारखंड राज्य में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना का विवरण:

क्र. सं.	**स्वीकृति वर्ष**	**परियोजना/अनुभव का नाम**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)**
1.	2018-19	इको पर्यटन परिपथ: डलमा - बेतला नेशनल पार्क - मिरचैया - नेतरहाट का विकास	30.44

(ii) झारखंड राज्य में चुनौती आधारित गंतव्य विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना का विवरण:

क्र. सं.	**श्रेणी**	**स्वीकृति वर्ष**	**परियोजना/अनुभव का नाम**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)**
1.	आध्यात्मिक पर्यटन	2024-25	रामरेखा धाम में पर्यटन अवसंरचना विकास	18.87

(iii) झारखंड में पूंजी निवेश योजना के लिए राज्यों को विशेष सहायता के तहत स्वीकृत परियोजना का विवरण:

क्र. सं.	**स्वीकृति वर्ष**	**परियोजना/अनुभव का नाम**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)**
1.	2024-25	कोडरमा में तिलैया का इको-पर्यटन विकास	34.87

(iv) झारखंड में तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान योजना के तहत स्वीकृत परियोजना का विवरण:

क्र. सं.	**स्वीकृति वर्ष**	**परियोजना/अनुभव का नाम**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)**
1.	2018-19	बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर का विकास	36.79
